

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०-4354-औस/पाकालि/2010-11(1)एस/2009

दिनांक 20.11.10

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजना तथा पारिवारिक पेन्शनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवम् कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दसों जों कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर उपलब्ध है के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं० 4452-औस-17/पाकालि/2009 दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या- 3593-औस-17/पाकालि/2003 दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अर्न्तगत निम्नलिखित चिकित्सालयों की एतद्वारा दिनांक 30.03.2012 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है :-

1. फातिमा मेडिकल एण्ड रिसर्च, सी-71 सेन्टर, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ
2. एक्सल हास्पिटल 14/138, चुन्नीगंज, कानपुर,
3. कपूर हास्पिटल, सिविल लाइन्स, झांसी
4. हाइवे हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा० लि०, सीतापुर रोड, लखनऊ (आर्थोपीडिक एकल विशिष्टता हेतु)
5. बृजराज हास्पिटल एण्ड सुपर स्पेशलिटी, सेन्टर, तहसीनगंज चौराहा, चौक, लखनऊ
6. पापुलर हास्पिटल ककरमल्ला, वाराणसी

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या- 2088-एनजी-2/एसईबी(चार)29-एनजी-2/78 दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवम् शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

1. अस्पतालों को विभाग द्वारा अनुमोदित दसों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
2. चिकित्सालय को अपने परिसर में साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि " उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा दिनांक 30.03.2012 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय "।
3. चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन को भेजना होगा :-

.....2/-

- (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवम् लिंग।
- (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
- (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवम् डिस्चार्ज होने की तिथि।
- (घ) कार्मिक का वेतनमान।
- (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)
- (च) कुल चार्ज की गई धनराशि।

4. कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर दर्शायी गई दरो पर उपचार करने हेतु सहमत है।
5. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन के मद हेतु रू० 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
6. निर्धारित/अनुमोदित दरो से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं०-4354(1)-औस/पाकालि/2010-11(1)एस/2009 तद्दिनांक :-

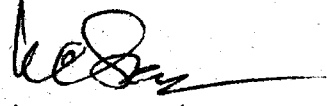
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (वित्त) के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल लखनऊ/पूर्वांचल वाराणसी/पश्चिमांचल मेरठ/दक्षिणांचल आगरा एवम् केस्को कानपुर।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी /कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

.....3/-



10. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन को उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org.Personnel पर लोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
12. प्रबन्धकगण, सम्बन्धित उक्त विकित्सालय।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी